कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ. 22(21)2016–17/भौ.स./लेखा/प्रमुवसं/ दिनांकः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई./
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जयपुर
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना/
जयपुर/वि.का.जयपुर/कोटा/वन्यजीव, जयपुर/वन वर्धन, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर/
बीकानेर/अजमेर एवं कोटा।
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/
भरतपुर/कोटा।
मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय हाजा।

विषयः–भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु कैम्प आयोजित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के विभिन्न कार्यालयों के कुल 241 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के 979 अनुच्छेद बकाया है तथा 62 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे है जिनकी प्रथम अनुपालना ही निरीक्षण विभाग को आज दिनांक तक नहीं भिजवायी गई है। इतनी लम्बी समयावधि तक निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना प्रेषित नहीं करने से अंकेक्षण का महत्व ही समाप्त होता जा रहा है। वित्त विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और निर्देशित किया है कि बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना प्राथमिकता के आधार पर करायी जाये।

उक्त को ध्यान में रखते हुए निदेशालय, निरीक्षण विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2017 को कैम्प लगाया जा रहा है जिसमें आपके कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों को एवं आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की नवीनतम ठोस एवं पूर्ण पालना मय प्रमाणक तैयार कर निदेशालय, निरीक्षण विभाग में दिनांक 26.05.2017 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावें। ताकि बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण हो सकें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

Sd/ –

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 22(21)2016–17/भौ.स./लेखा/प्रमुवसं/1888 दिनांकः– 24.5.17

प्रतिलिपिः–प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, अरण्य भवन को परिपत्र विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर